

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

कुन्दनसिंह

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 आरटीएक्ट

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

सरकार वगैरह

मुकदमा नं. 21/2025

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|-------------|--|---|
| 09.02.2026  | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया।</p> <p>प्रार्थी वकील ने बहस के दौरान अभिकथन किया कि प्रार्थी प्रकरण हाजा में वर्णित ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का जीजोट, तहसील कुचमामनसिटी के खसरान की भूमि खसरा नं. 71, 79, 80, 81, कुल रकबा 4.80 हैक्टेयर जो वर्तमान में श्री बालाजी का मन्दिर वाकै देह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि रही है, जो भू-प्रबंधन की कार्यवाही के दौरान मन्दिर के नाम दर्ज कर दी गई। तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरान की भूमि में पुराने पुश्तैनी मकानात बने हुये है, तथा लिछमण वल्द छोटू के वारिसान निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि की पुनः खातेदारी प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय में राजस्व वाद घोषणा, खातेदारी का प्रस्तुत किया गया है। अतः जब तक मूल वाद का अन्तिम तौर पर निस्तारण न हो तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।</p> <p>राजपैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी ने दौरान बहस वकील प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम कोटड़ा के गत खसरा नं. 25 किस्म दोगम, नया खसरा नं. खसरा नं. 71, 79, 80, 81, कुल रकबा 4.80 हैक्टेयर किस्म बाराणी द्वितीय मिसल सम्वत 2008 में डोली बनाम मंदिर श्री बालाजी वाकै देह पुजारी बालुराम वल्द सोलजी सा. देह डोलीदार व काश्तकार गत खसरा नं. 25 में नारायण पुत्र छोटू कौम रावणा राजपूत सा. लाम्बा काश्तकार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। वर्तमान में उक्त भूमि जमाबंदी श्रीबालाजी मंदिर के नाम दर्ज है। उक्त खातेदारी जरिये मि.789/55-56 एआरओ साहब नावां के दिनांक 16.03.1956 के जरिये खातेदार नाराणु एवं लिछमणराम की खातेदारी खारिज कर तितिम्मा खतौनी तैयार की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।</p> <p>अधिवक्ता एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, नकल जमाबंदीयों का अवलोकन किया। चूंकि मूल वाद प्रकरण खातेदारी घोषणा का है तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अनुतोष प्रार्थना पत्र में चाहा गया है, जो कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.02.2025 के प्रार्थी के पक्ष में जारी किया हुआ है। यदि उक्त प्रकरण में ताफैसला वाद प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पुख्ता की जाती है, तो दोनो पक्षों का किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः न्यायालय दोनो पक्षों को उक्त प्रकरण में दिनांक 07.02.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रकरण में वर्णित विवादित खसरान की भूमि का अन्तिम तौर पर निस्तारण नहीं हो तब तक पुख्ता किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा स्वीकार किया जाकर प्रकरण हाजा में राजस्व ग्राम कोटड़ा तहसील कुचामनसिटी के वर्तमान खसरा नं. 71, 79, 80, 81 रकबा 4.80 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के लिए जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.02.2025 को पुख्ता किया जाता है। प्रकरण हाजा नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।</p> | <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>        |

21/1/25